

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नागरिक चार्टर

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए),की स्थापना भारत सरकार द्वारा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1972 के तहत की गयी। भारत सरकार के नियंत्रणाधीन निर्यात के विशेष संदर्भ में समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास के लिए एमपीईडीए अधिदेशित है। प्राधिकरण, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत है।

प्राधिकरण में (केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त) एक अध्यक्ष, निदेशक, संसद के 3 सदस्य, जिनमें दो लोक सभा तथा एक राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, केंद्र के कृषि, वित्त, विदेश व्यापार, उद्योग, नौवहन और परिवहन मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 सदस्य और समुद्री तटीय

राज्यों और एमपीईडीए नियम, 1972 में यथानिर्दिष्ट संगत क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करनेवाले 20 अन्य सदस्यों सहित कुल 30 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

एमपीईडीए का मुख्यालय केरल राज्य के कोच्चि में स्थित है और तटवर्ती राज्यों में 25 क्षेत्रीय कार्यालय, 4 एलसी एमएस एमएस लैब्स और 11 एलिसा प्रयोगशालाएँ हैं। एमपीईडीए ने तीन सोसाइटीज अर्थात् अनुसंधान और विकास के लिए राजीव गांधी जलकृषि केंद्र (आरजीसीए), मछुआरों और मत्स्य श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए नेटफिश, और चिरस्थायी जलकृषि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय चिरस्थायी जलकृषि केंद्र (नाक्सा) का गठन किया है। एमपीईडीए के तीन व्यापार संवर्धन कार्यालय हैं, एक नई दिल्ली में मुख्य रूप से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ संपर्क करने के लिए है। अन्य दो न्यूयॉर्क और टोक्यो में हैं, जो भारतीय समुद्री खाद्य के लिए दो महत्वपूर्ण बाजार हैं। ये कार्यालय आयातकों, सरकारी एजेंसियों, आयातकों के संघों आदि के साथ संपर्क करते हैं और देश के भीतर होने वाले विभिन्न विकासों, और साथ ही साथ भारत के साथ समुद्री खाद्य व्यापार पर प्रभाव डालने वाले देशों पर कड़ी नजर रखते हैं।

हमारा लक्ष्य

एमपीईडीए भारत सरकार के अधीन एक अनन्य संगठन है, जिसका समुद्री खाद्य निर्यात के प्रवेश मूल्य श्रृंखला में सभी हितधारकों के साथ घनिष्ठ समन्वय है। एमपीईडीए अधिनियम, 1972 के तहत एमपीईडीए निर्यातकों, प्रसंस्करण संयंत्रों, पीलिंग शेडों, प्रशीतन भंडारों, मत्स्यन यानों और अन्य संस्थाओं को पंजीकृत करके उद्योग को विनियमित करता है। निर्यात उन्मुख जलकृषि फ़ार्मों और हैचरियों को नामांकित किया जाता है और यूनिट आईडी आबंटित किया जाता है। यूरोपीय संघ, अमेरिका और जापान जैसे महत्वपूर्ण बाजारों द्वारा निर्धारित ट्रेसबिलिटी और गुणवत्ता के कड़े मापदंडों को पूरा करने के लिए एमपीईडीए द्वारा पंजीकृत नामांकित संस्थाओं को तकनीकी और आर्थिक

सहायता प्रदान की जाती है। एमपीईडीए भारत से समुद्री खाद्य के निर्यात को सुगम और आयातक देशों की सरकारों के साथ उनकी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समन्वय करता है। एमपीईडीए निर्यात के लिए विशेष संदर्भ के साथ समुद्री उत्पाद उद्योग के समग्र विकास के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। उद्योग में प्रमुख हितधारक मछुआरे, जलकृषि कृषक, हैचरी मालिक, प्रसंस्करणकर्ता, निर्यातक और उद्योग के श्रमिक हैं। एमपीईडीए विशेष रूप से एचएसीसीपी और अन्य गुणवत्ता पहलुओं के कार्यान्वयन में तकनीकी प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करने के अलावा हितधारकों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। एमपीईडीए प्रसंस्करण श्रमिकों के बीच क्षमता निर्माण अभ्यासों और निर्यातकों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा मूल्यवर्धन को बढ़ावा देता है। उच्च अंत मूल्य संवर्धन के लिए मशीनरी स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है।

प्राधिकरण मत्स्यन बंदरगाह से निर्यात के लिए मत्स्य के आंकड़े एकत्र कर रहा है और इसी विनियमन 1005e2008 के अनुसार पकड़ प्रमाणपत्र को मान्य करता है। एलिसा लैब्स नामांकित जलकृषि फार्म को उनकी उपज के लिए प्री हार्वेस्ट टेस्ट सर्टिफिकेट जारी करते हैं। निर्यात और बाजार पहुंच को सुविधाजनक बनाने वाले कई अन्य प्रमाण पत्र और जैसे कि डीएस 2031, आईसीसीएटी स्पोर्ट्स सांख्यिकीय दस्तावेज़, मूल देश आदि भी जारी किए जाते हैं।

भारत समुद्री खाद्य का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। समुद्री खाद्य का निर्यात वर्ष 2007-08 के 1.89 बिलियन डॉलर यूएस की तुलना में वर्ष 2017-18 में 7.08 बिलियन यूएस डॉलर हुआ। 2020 में निर्यात 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे आयातक देशों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता और प्रलेखन मानकों को पूरा करना आगे की चुनौती है। अपेक्षित मानकों को पूरा करने के लिए फार्म से खाने तक उत्पाद की ट्रेसबिलिटी स्थापित करना आवश्यक है। यदि उत्पाद समुद्र से है तो मत्स्यन यान और पोत की पहचान करना आवश्यक है जिसमें मत्स्य पकड़े गए थे। आयात करने वाले देशों की एसपीएस-टीबीटी अधिसूचनाएं और एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी और भारतीय समुद्री खाद्य पर लगाए गए अस्थायी निलंबन जैसे प्रतिबंध चिंता का विषय हैं। जैव सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है।

इन चुनौतियों को पूरा करने के लिए एमपीईडीए, विनियमों, उत्पाद की ट्रेसबिलिटी, गुणवत्ता आश्वासन, ब्रांड प्रमोशन, मूल्य वर्धन, मार्केट एक्सेस, विविधीकृत उत्पादन, अवसंरचना विकास, संगठित खेती और बाजार आसूचना पर ध्यान दे रहा है।

विनियमन:- समुद्री उत्पादों के निर्यातकों के लिए एमपीईडीए अधिनियम 1972 के तहत एमपीईडीए पंजीकरण अनिवार्य है। एमपीईडीए पंजीकृत निर्यातकों, प्रसंस्करण इकाइयों, हैंडलिंग केंद्रों, भंडारण परिसरों, हिम संयंत्रों, मत्स्यन यानों और निर्यात के लिए समुद्री खाद्य ले जाने के लिए प्रयुक्त परिवहन। एमपीईडीए, एमपीईडीए अधिनियम और नियमों के तहत आने वाली विभिन्न संस्थाओं के पंजीकरण के लिए मानक तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार है।, पंजीकृत निर्यातकों या प्रसंस्करणकर्ताओं के खिलाफ व्यापार/गुणवत्ता की शिकायतों के मामले में, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एमपीईडीए जांच और उचित कार्रवाई करता है। पंजीकृत संस्थाओं का नियमित निरीक्षण और उनकी निगरानी की जाती है ताकि संस्थाओं में निर्धारित मानक बनाए रखा जा सके। त्रुटिपूर्ण संस्थाओं को

कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और अनुपालन न होने की स्थिति में पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है। नामांकित फार्म और हैचरी की भी निगरानी की जाती है और उचित सलाह दी जाती है।

ट्रेसिबिलिटी

एमपीईडीए ने समुद्र से पकड़े गए समुद्री उत्पादों की ट्रेसिबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मत्स्यन यान से प्रजातिवार मत्स्य लैंडिंग के आंकड़े एकत्रित करने के लिए मत्स्यन बंदरगाहों में डेटा कलेक्टर्स लगाए हैं। यह डेटा, पकड़ प्रमाणपत्र जारी करने के लिए वेब पोर्टल के साथ एकीकृत है, जो यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार मत्स्यन यान की संख्या और यात्रा की तारीख को सूचित करता है। इसी प्रकार एमपीईडीए के एलिसा लैब्स जलकृषि कृषकों को प्री हार्वेस्ट सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, जो एमपीईडीए के साथ नामांकित फार्मों से लिए गए नमूने के आधार पर उनके पैदावार के लिए है। संपूर्ण ट्रेसिबिलिटी स्थापित करने के लिए एमपीईडीए द्वारा हैचरी को भी नामांकित किया गया है। 62000 एका फार्म अब तक नामांकित किए गए हैं। ट्रेसिबिलिटी स्थापित करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एमपीईडीए द्वारा किए गए कार्यकलाप का प्रवाह चार्ट स्वयं व्याख्यात्मक है।

गुणवत्ता आश्वासन :-

एमपीईडीए निर्यात के लिए समुद्री खाद्य की गुणवत्ता के उन्नयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एमपीईडीए, एलसी एमएस एमएस, जीसीएमएस, एचपीएलसी, आईसीपी, आईएस जैसे अत्याधुनिक उपकरणों के साथ स्थापित चार आधुनिक प्रयोगशालाओं के साथ राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना (एनआरसीपी) का प्रबंधन करता है। इन सभी प्रयोगशालाओं ने आईएसओ 9001: 2008 प्रमाण पत्र और एनएबीएल मान्यता प्राप्त की है। एमपीईडीए, एचएसीसीपी सिद्धांतों पर प्रशिक्षण प्रदान करता है। भारतीय श्रिम्प के परेषण को प्रतिबंधित प्रतिजैविकी या अन्य प्रतिबंधित पदार्थ जैसे कैडमियम या मरकरी की उपस्थिति के कारण प्रमुख बाजारों में अस्वीकृति के खतरे का सामना करना पड़ता है। मछुआरों को हाइजीनिक मत्स्यन प्रथाओं को अपनाने और समुद्र में पकड़ी गयी सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षित करने के लिए नेटफिश, एमपीईडीए के तहत एक सोसायटी नियमित रूप से सभी समुद्री राज्यों में जागरूकता अभियान चला रही है। मछुआरों और मत्स्य प्रसंस्करण श्रमिकों को मत्स्य गुणवत्ता प्रबंधन और चिरस्थायी मत्स्यन द्वारा मत्स्य संसाधनों के संरक्षण में प्रशिक्षित किया जाता है।

एमपीईडीए इस मुद्दे से निपटने के लिए राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों जैसे ईआईसी, सीएए, पशुपालन विभाग, डेयरी और मत्स्य पालन आदि के साथ मिलकर काम कर रहा है। बड़ी बाधा किसानों के बीच जागरूकता की कमी और बाजार में प्रतिबंधित प्रतिजैविक दवाओं की उपलब्धता है। एमपीईडीए नियमित रूप से किसानों के बीच जागरूकता अभियान चला रहा है जो उन्हें जलकृषि में प्रतिजैविक दवाओं के उपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित कर रहा है। एमपीईडीए और ईआईसी द्वारा परीक्षण स्तरों को गहन किया गया है। जलकृषि में प्रतिजैविक दवाओं के मुद्दे को खत्म करने के लिए इस संबंध में नए उपाय किए जाने हैं। मध्यस्थ जो कृषकों से श्रिम्प खरीदते हैं और प्रसंस्करणकर्ताओं को आपूर्ति करते हैं, वे विभिन्न फार्मों की सामग्रियों को भी मिलाते हैं और इस तरह उत्पाद की ट्रेसिबिलिटी खो जाती है। इस तरह सबसे उत्तम विनिर्माण प्रथाओं के साथ एक फार्म में उत्पादित श्रिम्प भी एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किए गए फार्म के श्रिम्प के साथ मिल जाते हैं। ईआईसी और एमपीईडीए मिलकर प्रसंस्करणकर्ता और निर्यातक को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एमपीईडीए ने सक्रिय और अनिवार्य परीक्षणों के आयोजन के लिए 11 एलिसा

लैब्स की स्थापना की है। मिट्टी, पानी, चारा आदि के परीक्षण के लिए कृषकों के लाभ के लिए आंध्र प्रदेश के कृषि क्षेत्रों में 4 जलकृषि लैब स्थापित किए जा रहे हैं। कोच्चि में 1 माइक्रोबायोलॉजी लैब स्थापित की जा रही है और गुजरात में 1 एलसी एमएस एमएस लैब स्थापित की जा रही है

ब्रैंड संवर्धन :- भारतीयसमुद्रीखाद्य, बोस्टन, ब्रसेल्स, जापान, चीन, मध्यपूर्व आदि के प्रमुख अंतरराष्ट्रीयसमुद्रीखाद्यमेलोंमेंभागलेकर वैश्विकबाजारमेंप्रदर्शितहोताहै। भारत अंतरराष्ट्रीय समुद्री खाद्य प्रदर्शनी और एका एकरिया इंडिया जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलोंका आयोजन समुद्री खाद्य उत्पादन और निर्यात में हमारी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए वैकल्पिक वर्षों में किया जाता है।

मूल्य वर्धन :- प्रसंस्करण संयंत्र की प्रसंस्करण क्षमता प्रति दिन 27,390 मीट्रिक टन है। इसमें से, प्रति दिन केवल 4,400 मीट्रिक टन का उपयोग उच्चतम लाभ दिलाने वाले ब्रेडेड और बट्टेड उत्पादों के लिए किया जाता है। कुल निर्यात में मूल्यवर्धित उत्पादों का योगदान मात्र 13% हैं। परंपरागत निर्यातक, मूल्य वर्धित उत्पाद में अस्वीकरण का सामना करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं क्योंकि एक अवधारणा है कि मूल्य वर्धित उत्पाद खासतौर पर तैयार उत्पाद को गुणवत्ता के आधार पर अस्वीकृत होने का खतरा रहता है। हालांकि, यह एक तथ्य है कि कई विकासशील राष्ट्रों ने विकसित देशों के लिए मूल्य वर्धित उत्पादों का उत्पादन और निर्यात करने की अपनी क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। क्षेत्र की लाभप्रदता बढ़ाने हेतु मूल्य वृद्धि की चुनौती लेने के लिए नए उद्यमियों को आगे आना चाहिए। एमपीईडीए ने उच्च अंत मूल्य संवर्धन के लिए नए प्रसंस्करण संयंत्रों स्थापित करने या अपग्रेड करने के लिए निर्यातकों को दी जा रही सहायता की मात्रा में वृद्धि की है। मूल्य संवर्धन में कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और पीएमकेवीवाई के तहत भी मूल्यवर्धन की दिशा में कार्यबल के कौशल को बढ़ाने के लिए काम जारी है। एमपीईडीए बाजार संवर्धन और बाजार पहुंच के लिए सहायता भी प्रदान कर रहा है।

बाजार पहुंच :- प्रमुख बाजारों से व्यापार पूछताछ और जानकारी निर्यातकों को प्रसारित की जाती है। व्यापार प्रतिनिधि मंडलों को अज्ञात बाजारों के लिए आयोजित किया जाता है और सरकार से सरकारी स्तर और व्यवसाय से व्यवसाय स्तर तक चर्चा को सुगम किया जाता है। एसपीएस-टीबीटी मुद्दे और सीवीडी और एडीडी जैसे अन्य बाजार पहुंच मुद्दों का समाधान ढूँढने और भारतीय समुद्री खाद्य की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु मामला उचित रूप से संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखा जाता है। गुणवत्ता पर निर्धारित प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और आयात करने वाले देशों और बाजारों द्वारा निर्धारित आवश्यक दस्तावेज़ीकरण ई प्रमाणन की सुविधा प्रदान करने के लिए एमपीईडीए, ईआईसी के साथ समन्वय करता है।

विविधीकृत उत्पादन :- निर्यात में विविधता लाने के लिए, आरजीसीए, एमपीईडीए का अ&वि स्कंध ब्लैक टाइगर, स्कैम्पी, मड क्रैब, तिलपिया, सी बेस आदि के निर्यात उन्मुख उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी और कृषि के लिए प्रदर्शन खेतों के माध्यम से लोकप्रिय किया जा रहा है और हैचरी स्थापित करने के लिए परामर्श दिया जा रहा है। एल वन्रामी थ्रिम्प ब्रूडर्स के आयात की सुविधा के लिए जलीय संगरोध सुविधा (एक्यूएफ़) संचालित है। आरजीसीए का ब्रूड स्टॉक मल्टीप्लीकेशन सेंटर (बीएमसी) एसपीएफ़ ब्रूडर्स के लिए हैचरी की आवश्यकता को पूरा कर रहा है। आरजीसीए राज्य सरकारों को हैचरी, नर्सरी और बीएमसी की स्थापना के लिए परामर्श सेवाएं दे रहा है।

अवसंरचना विकास :- प्रकृतिकृत पकड़ी गई हो या कृषित हो, समुद्रीखाद्य की गुणवत्ता का आश्वासन केवल तभी दिया जा सकता है जब भंडार, परिवहन, हैंडल, प्रक्रिया, गति और निर्यात के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। ऑन-बोर्ड हाइजीनिक हैंडलिंग और शीत भंडार सुविधा सहित मत्स्यन यान, फिश लैंडिंग केंद्र, ई हार्बर, फिशिंग हार्बर के पास शीत भंडार, ई लैंडिंग केंद्र, बंदरगाह से संयंत्र तक मत्स्य पहुंचाने के लिए परिवहन हेतु रेफ्रीजरीकृत ट्रक आदि समुद्र से पकड़े गए मत्स्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी आवश्यकताएं हैं।

इसी तरह, जलकृषि फार्मों के पास जैव-सुरक्षित हैचरी, जलकृषि फार्म और शीत भंडार और फार्म से मत्स्य के परिवहन के लिए प्रशीतित ट्रक, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की बुनियादी आवश्यकताएं हैं। एमपीईडीए कुछ राज्यों में मॉडल मत्स्यन बंदरगाह के विकास में शामिल है। एमपीईडीए द्वारा राज्य सरकारों को उत्पादन क्षेत्र में अवसंरचना विकास योजनाएं बनाने में मदद की जाती है। उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हैचरी, नर्सरी, चारा मिल, जैव सुरक्षित फार्म, प्रसंस्करण संयंत्र और हैंडलिंग सुविधाओं को उन्नत किया जाना आवश्यक है।

जलकृषि विकास और संगठित कृषि :

श्रिम्प भारत से निर्यात किया जाने वाला प्रमुख समुद्री खाद्य है और मुख्य रूप से तटीय जलीय कृषि क्षेत्र से आता है। पारंपरिक व्यापक कृषि विधियों को अपनाने के माध्यम से तटीय जलकृषि पद्धतियाँ चिरस्थायी और पर्यावरण अनुकूल हैं। एमपीईडीएस्थायी जलकृषि और क्लस्टर कृषि को बढ़ावा देता है।

एमपीईडीए के तहत एक सोसायटी नाक्सा द्वारा क्लस्टर कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, छोटे जलकृषकों को एक साथ लाया जाता है और एक कृषक सोसाइटी बनाई जाती है। सोसायटी को एमपीईडीए द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। समाज को जलकृषि में बेहतर प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। चिरस्थायी रूप से गुणवत्ता वाले श्रिम्प का उत्पादन करने के लिए छोटे कृषकों के बीच क्षमता का निर्माण करने के लिए नाक्सा प्राथमिक जलकृषि सोसाइटियों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। नाक्सा ने अब तक 800 सोसाइटी का संगठन किया है। इसे सभी समुद्री राज्यों में दोहराया जाना है ताकि सम्पूर्ण निर्यात उन्मुख जलकृषि फार्म एमपीईडीए के साथ जुड़े और उनकी बारीकी से सहायता और निगरानी हो सके। संगठित खेती कृषकों को ज्ञान से सशक्त करती है और इस तरह वे बेहतर उत्पाद बनाते हैं और बेहतर कीमत कमाते हैं।

बाज़ार आसूचना :

एमपीईडीए निर्यातक और साथ ही कृषक को नीली क्रांति से लाभान्वित करने के लिए समान रूप से सशक्त बनाने में एक भूमिका निभाता है। जलकृषि श्रिम्पका निर्यातोन्मुखी उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और 2017-18 में 700,000 टन के करीब पहुंच गया है। सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने के लिए कृषकों को प्रसंस्करणकर्ताओं को सीधे बिक्री करने की आवश्यकता होती है। निर्यातकों को फार्मों से सीधे संपर्क द्वारा भी लाभ हो सकता है क्योंकि वे उत्पादन और पैदावार को तदनुसार अनुकूलित कर सकते हैं और मध्यम स्तर के एजेंट के कमीशन को समाप्त हो जाने के कारण तुलनात्मक रूप से कम भुगतान करते हैं। एमपीईडीए व्यापार के लिए बाजार की जानकारी का प्रसार करता है और उद्योग की समस्याओं / मुद्दों को उपयुक्त एजेंसियों के सम्मुख उठाता है। समुद्री खाद्य निर्यात क्षेत्र के दृष्टिकोण को संकलित किया जाता है और और प्रत्येक एसपीएस / टीबीटी मुद्दे में पेश किया जाता है। एमपीईडीए आयात देशों के साथ व्यापार वार्ता में वाणिज्य विभाग के साथ भाग लेता है और गुणवत्ता और व्यापार के मुद्दों के समाधान के लिए ऐसे मंचों में समुद्री खाद्य निर्यात क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।

एमपीईडीए ने भारतीय समुद्रीखाद्य में सबसे अच्छा सौदा करने हेतु कृषकों , निर्यातकों और आयातकों को एक साथ एक मंच में लाने के लिए एक वेब पोर्टल "फिश एक्सचेंज" शुरू किया है। उद्योग के लिए फायदे के लिए बाजार की अन्य जानकारी मासिक समाचार पत्र में प्रकाशित होती हैं और ये सदस्यता आधार पर परिचालित किए जाते हैं। श्रिम्प की कीमतें कृषि क्षेत्रों में स्थानिक भाषा के समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती हैं। हितधारकों द्वारा उपयोग के लिए एमपीईडीए सेवाओं पर एक ई-ऐप भी तैयार किया जा रहा है।

कैप्चर मात्स्यिकी विकास :- एमपीईडीए मात्स्यिकी सुधार उपायों और मात्स्यिकी और संबंधित मूल्य श्रृंखला की चिरस्थायिता एवं प्रमाणन कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करता है। क्षमता निर्माण अभ्यास के माध्यम से टूना और अन्य गंभीर सागर संसाधनों के शोषण के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। संरक्षण स्थिरता और पर्यावरण के अनुकूल तरीकों पर जोर देने के साथ संसाधन विशिष्ट मत्स्यन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। एमपीईडीए यूरोपीय संघ के लिए समुद्र से पकड़ी गयी मत्स्यों के निर्यात के लिए पकड़ प्रमाणपत्र को मान्य करता है।

प्रचार और बाज़ार संवर्धन :- एमपीईडीए , विदेशों में भारतीय समुद्री उत्पादों के संवर्धन के लिए व्यापारियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेता है तथा विक्रय दल के प्रतिनिधिमंडल और क्रेता विक्रेता बैठकों का आयोजन करता है। ब्रुसेल्स, बोस्टन, जापान और चीन जैसे प्रमुख व्यापार मेलों में नियमित रूप से निर्यातकों के साथ भाग लिया जाता है। एमपीईडीए द्विवार्षिक भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य प्रदर्शनी और एका एकरिया इंडिया का आयोजन करता है। एमपीईडीए आला समुद्री खाद्य पत्रिकाओं ई वेबसाइटों में भारतीय समुद्री उत्पादों का प्रचार करता है। एमपीईडीए समुद्री खाद्य क्षेत्र पर विभिन्न प्रकाशन निकालता है।

सांख्यिकी :- एमपीईडीए निर्यात आँकड़े संकलित करता है और निर्यात पर आवधिक समीक्षा प्रकाशित करता है। एमपीईडीए मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए नए बाजारों/मौजूदा बाजारों का पता लगाने के लिए मार्केट सर्वेक्षण का आयोजन करता है। एमपीईडीए मात्स्यिकी और समुद्री उत्पाद निर्यात क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा नीतिगत हस्तक्षेप के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है।

शिकायत और परिवेदना:- एमपीईडीए में एक शिकायत कक्ष कार्यरत है। एमपीईडीए मुख्यालय में सचिव और उप निदेशक (प्रशा) मुख्य सतर्कता अधिकारी और सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। सचिव अपने सामान्य कार्यों के अतिरिक्त पंजीकरण, इमदाद आदि के लिए प्राप्त आवेदनों पर शिकायतों सहित सभी सार्वजनिक शिकायतों से जुड़े मामलों का निपटान भी करते हैं।

The Marine Products Export Development Authority

CITIZENS' CHARTER

The Marine Products Export Development Authority (MPEDA) was established under the Marine Products Export Development Authority Act 1972 (No. 13 of 1972) by Government of India. The mandate of MPEDA is to develop the marine products industry with special reference to export under the control of the Government of India. The Authority is functioning under the administrative control of Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India.

The Authority consists of 30 members including a Chairman, Director, 3 Members of Parliament, 5 members representing Central Ministries of Agriculture, Finance, Foreign Trade, Industry, Shipping and Transport and 20 other members to represent the Maritime States and other relevant fields as specified in MPEDA Rules, 1972. All the Members including Chairman are appointed by the Central Government.

Head office of MPEDA is located at Kochi in Kerala State and has 25 field offices, 4 LC MS MS Labs and 11 ELISA Laboratories across maritime states. MPEDA also has formed three Societies viz., Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture (RGCA) for Research and Development, NETFISH for educating the fishers and fish workers, and National Centre for Sustainable Aquaculture (NaCSA) for promoting sustainable aquaculture. There are three trade promotion offices for MPEDA, one in New Delhi mainly to liaise with various Ministries of Govt. of India. The other two are in New York and Tokyo, the two important markets for Indian seafood. These offices liaise with importers, Govt. agencies, Importers' associations, etc and keep a close watch on various developments within the country as well as the adjoining countries that may have an impact on the seafood trade from India.

Our Mission

MPEDA is a unique organisation under the Government of India having close coordination with all stakeholders in the entire value chain of seafood export. MPEDA regulates the industry by registering Exporters, Processing Plants, Peeling sheds, Frozen Storages, Fishing Vessels and other entities under the MPEDA Act, 1972. The export oriented Aquaculture Farms and Hatcheries are also enrolled and allotted with Unique ID. The registered/enrolled entities are technically and financially assisted by MPEDA to meet the stringent parameters of traceability and quality prescribed by the importing markets such as European Union, USA and Japan. MPEDA coordinates with the governments of the importing countries for meeting their statutory requirements and facilitate export of seafood from India.

MPEDA acts as the Nodal agency of the Government of India for overall development of the marine products industry with special reference to export. The major stakeholders in the industry are Fishers, Aquaculture farmers, Hatchery owners, Processors, Exporters and workers in the industry. MPEDA is providing technical and financial assistance to the stake holders apart from imparting technical training and awareness programs especially in implementation of HACCP and other quality aspects. MPEDA promotes value addition by capacity building exercises among the processing workers and awareness programs for exporters. Financial assistance is given for installing machinery for high end value addition.

The Authority is collecting data on fish sourced for export from the fishing harbours and validates Catch Certificate as per EC regulation 1005/2008. The ELISA Labs issue Pre Harvest Test certificates to the enrolled Aquaculture Farms for their produce. Many other certificates facilitating export and market access such as DS 2031, ICCAT Swordfish Statistical Document, Country of Origin etc are also issued.

India is the third largest producer and fourth largest exporter of seafood. The seafood export has earned 7.08 Billion US \$ in 2017-18 against 1.89 Billion US \$ in 2007-08. The export is expected to breach 10 Billion US \$ in 2020. Meeting the quality and documentation standards prescribed by the importing countries such as Japan, European Union and USA is the challenge ahead. Establishing traceability of the product from the farm to fork is necessary to meet the expected standards. In case of products from sea it is necessary to identify the Fishing Vessel and the voyage in which the fish was caught. SPS-TBT notifications from the importing countries and restrictions such as Anti Dumping Duty, Countervailing Duty and temporary suspensions imposed on Indian seafood is another matter of concern. Issues related to bio security needs to be addressed.

To meet these challenges MPEDA is concentrating on Regulation, Traceability of Products, Quality Assurance, Brand Promotion, Value Addition, Market Access, Diversified Production, Infrastructure Development, Organised Farming and Market Intelligence.

Regulation:- MPEDA registration is mandatory for exporters of marine products to be registered under the MPEDA Act 1972. MPEDA registers exporters, processing units, handling centres, storage premises, ice plants, fishing vessels and conveyances used for carrying seafood for export. MPEDA is also responsible for framing standards for registration of various entities falling under the MPEDA Act and Rules. In case of trade/quality complaints against registered exporters or processors MPEDA conducts investigation and appropriate action is taken to prevent such occurrences in future. The registered entities are regularly inspected and monitored so that the prescribed standard is maintained in the entities. The erring entities are issued with show cause notices and in case of non compliance the registration is cancelled. The enrolled Farms and Hatcheries are also monitored and advised appropriately.

Traceability: - MPEDA has engaged Data Collectors in the Fishing harbours for collecting data on the species wise fish landing from each fishing vessel in order to ensure traceability of sea caught marine products. This data is integrated with the web portal for issuing Catch Certificates indicating the fishing vessel number and date of voyage as per the format prescribed by EU. Similarly the ELISA Labs of MPEDA are issuing Pre Harvest Certificates to the Aquaculture farmers for their produce based on the sample taken from the farms enrolled with MPEDA. The Hatcheries are also enrolled by MPEDA in order to establish complete traceability. 62000 Aqua Farms have been enrolled till date. The flow chart of activities undertaken by MPEDA to establish traceability and ensure quality is self explanatory.

Quality Assurance:- MPEDA plays a pivotal role in upgrading the quality of seafood for export. MPEDA administrates the National Residue Control Plan (NRCP) with four modern laboratories set up with sophisticated instruments like LC MS MS, GCMS, HPLC, ICP, AES etc. All these laboratories have obtained ISO 9001:2008 certificates and NABL accreditation. MPEDA impart training on HACCP principles. Indian shrimp consignments face the threat of rejection in the major markets due to presence of banned antibiotics or other banned substances such as Cadmium or Mercury. In order to

educate the fishers to adopt hygienic fishing practices and ensure the quality of sea caught materials the NETFISH, a Society under MPEDA is conducting Awareness Campaigns in all maritime states regularly. Fishers and fish processing workers are trained in fish quality management and conservation of fish resources by sustainable fishing.

MPEDA is working closely with the State Governments and other agencies such as EIC, CAA, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries etc for tackling the issue. The major hurdle is lack of awareness among the farmers and availability of banned antibiotics in the market. MPEDA is regularly conducting Awareness campaigns among the farmers educating them about the ill effects of using antibiotics in the aquaculture. The testing levels have been intensified by MPEDA and EIC. Innovative measures are to be taken in this regard to eliminate the issue of antibiotics in aquaculture. The middlemen who procure the shrimp from farmers and supply to the processors also mix materials of various farms and thereby the traceability of the product is lost. In this way the shrimp produced in a farm with best manufacturing practices also get mixed with the shrimp of a farm where antibiotics were used. EIC and MPEDA together play a vital role in regulating the Processors and Exporters. MPEDA has established 11 ELISA Labs for conducting proactive and mandatory tests. 4 Aquaculture Labs are being established in the farming areas in Andhra Pradesh for the benefit of farmers for testing the soil, water, feed etc. 1 Microbiology Lab is being set up in Kochi and 1 LC MS MS Lab is being set up in Gujarat.

Brand Promotion: - Indian seafood is showcased to the global market by participating in major international seafood trade fairs in Boston, Brussels, Japan, China, Middle East etc. International trade fairs namely India International Seafood Show and Aqua Aquaria India are organized in alternate years to exhibit our strength in seafood production and export.

Value Addition: - 27,390 MT per day is the processing capacity of processing plants. Out of this, only 4,400 MT per day is used for high end value addition such as breaded and battered products which yield high level of profit. The contribution of value added products in the total export is only about 13%. The traditional exporters are wary of taking the risk of facing rejections in value added products as there is a perception that value added products especially ready to eat products are prone to quality based rejection. However, it is a fact that many developing nations have successfully exhibited their ability to produce value added products and export to the developed nations. New entrepreneurs should come forward to take up the challenge of value addition and increase the profitability of the sector. MPEDA has increased the quantum of assistance to the exporters for upgrading or setting up new processing plants for high end value addition. Training programs are organized for skill development in value addition and also under PMKVY are underway to up skill the workforce towards value addition. MPEDA is also providing assistance for market promotion and market access.

Market Access: - Trade enquiries and information from major markets are disseminated to the exporters. Trade delegations are organized to unexplored markets and discussions at government to government level and business to business level are facilitated. SPS-TBT issues and other market access issues such as CVD and ADD are appropriately taken up with the relevant authorities for resolving and ensuring access of Indian seafood. MPEDA coordinates with EIC for meeting the prescribed certification requirements on quality and facilitates necessary documentation / certification as prescribed by the importing countries and markets.

Diversified Production: - In order to diversify the export basket RGCA, the R&D wing of MPEDA is promoting export oriented production of Black Tiger, Scampi, Mud Crab, Tilapia, Sea bass etc. The technology for seed production and farming is popularized through demonstration farms and consultancy for setting up of Hatcheries. Aquatic Quarantine Facility (AQF) for facilitating import of *L. vanammei* shrimp brooders is operated. Brood Stock Multiplication Centre (BMC) of RGCA is catering to the need of Hatcheries for SPF Brooders. RGCA is offering consultancy services to the state governments for establishing Hatcheries, Nurseries and BMC.

Infrastructure Development: - Quality of the seafood whether wild caught or farmed, can be assured only when adequate infrastructure facilities are available to stock, transport, handle, process, pack and export. The fishing vessels with onboard hygienic handling and chilled storage facility, fish landing centres / harbours, chilled storages near fishing harbours / landing centres and refrigerated trucks to transport the fish from harbour to the plant are the basic requirements for ensuring the quality of sea caught fish.

Similarly, bio -secured hatcheries, Aquaculture Farms and chilled storages near aquaculture farms and Refrigerated trucks to transport the fish from farm to the plant are the basic requirements for ensuring the quality of farmed products. MPEDA has been involved in developing of model fishing harbour in a few states. The state governments are assisted by MPEDA in making the infrastructure development plans in the production sector. Hatcheries, Nurseries, Feed Mills, Bio Secured Farms, Processing Plants and Handling Facilities are required to be upgraded to ensure the quality of products.

Aquaculture Development and Organised farming:- Shrimp is the major seafood exported from India and is mainly sourced from the coastal aquaculture sector. Coastal aquaculture practices are sustainable and eco friendly, through the adoption of traditional extensive farming methods. MPEDA promotes sustainable aquaculture and cluster farming.

Cluster farming is being promoted by NaCSA, is a Society under MPEDA. Small aquaculture farmers are brought together and a farmer's society is formed. The Society is assisted by MPEDA with technical and financial assistance. The society is encouraged to adopt better management practices in aquaculture. NaCSA serves as a link between the primary aquaculture societies to build capacity among the small farmers to produce quality shrimps in a sustainable manner. The NaCSA has organized 800 Societies till now. This has to be replicated in all maritime states so that the entire export oriented aqua farms are linked with MPEDA and are closely assisted and monitored. The organized farming empowers the farmers with knowledge and thereby they make better products and earn better price.

Market Intelligence: - MPEDA plays a role in empowering the exporter as well as the farmer alike for benefitting from the Blue Revolution that is taking place. The export oriented production of aquaculture shrimp has been increasing consistently and has reached close to 700,000 tons in 2017-18. In order to achieve the best price the farmers need to make direct sales to the processor. The Exporters also can benefit by direct linkages to the farms as they can customize the produce and harvest accordingly and pay comparatively less since the commission of middle level agent is eliminated. MPEDA disseminates market information to trade and takes up problems / issues of the industry with appropriate agencies. The view of Seafood export sector is compiled and projected on each SPS/TBT issue. MPEDA takes part along with DOC in the trade negotiations with importing

countries and represent the seafood export sector in such forums for finding solution for quality and trade issues.

MPEDA has initiated a web portal "Fish exchange" for bringing the Farmers, Exporters and Importers together in a single platform for making the best deals in India Seafood. Other market information beneficial to the industry are published in monthly News Letter and circulated against subscription. The Shrimp prices are published in the farming areas in vernacular language News Papers. An e-app on MPEDA services is also being prepared for use by the stakeholders.

Capture Fisheries Development:- MPEDA provides assistance for fishery improvement measures and sustainability and certification programmes of fishery and associated value chain. Technology transfer for exploitation of Tuna and other deep sea resources are also being encouraged through capacity building exercises. Training is given for resource specific fishing with emphasis on conservation sustainability and eco-friendly methods. MPEDA validates catch certification for the export of sea caught items to the EU.

Publicity and Market Promotion:- MPEDA participates in international trade fairs in association with trade and organizing buyer seller meets and delegation of sales team for promotion of Indian marine products overseas. Major trade fairs such as in Brussels, Boston, Japan, and China are regularly attended along with exporters. MPEDA organize biennial India International Seafood Show and Aqua Aquaria India. MPEDA provides publicity to Indian marine products in niche seafood magazines / web sites. MPEDA brings out various publications on seafood sector.

Statistics:- MPEDA compiles export statistics and publish periodical reviews on export. MPEDA organizes Market Surveys to explore new markets / existing markets for value added products. MPEDA provides information required for policy intervention by Government of India in fishery and marine products export sector.

Complaints and Grievance:- A grievance cell is in operation in MPEDA. The Secretary and Deputy Director (Admn) are functioning as Chief Vigilance Officer and Vigilance Officer in MPEDA Head Office. Secretary attends to matters connected with all public complaints received including complaints on application received for registration, subsidy etc., in addition to his normal duties as Secretary.